

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10

बारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पहला दिवस

संख्या 1

सोमवार;

14 जुलाई, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: राम-राम सा। नमस्कार।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

उप सचिव (सदन): महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :-

1. राजस्थान समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण विधेयक, 2006

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :-

1. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008
2. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008
3. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008
4. राजस्थान भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008
5. राजस्थान वित्त विधेयक, 2008
6. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2008
7. जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008
8. सिंधानिया विश्वविद्यालय (पचेरी बड़ी) झुन्झुनूं विधेयक, 2008
9. एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर, विधेयक, 2008
10. निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर, विधेयक, 2008
11. सर पदमपत सिंधानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, विधेयक, 2008
12. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008
13. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008
14. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008
15. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008
16. भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, विधेयक, 2008
17. सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2008
18. जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2008
19. ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, विधेयक, 2008

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्र अत्यन्त छोटा है और सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिये आपसे प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, इस बारहवीं विधान सभा में भी पहले दिन में क्वेश्चन आँवर हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप अध्यादेश तो आने दें।

श्री संयम लोढा (सिरोही): क्वेश्चन आँवर हुआ है पहले दिन भी और इस बार इतना छोटा सत्र होने के बाद भी क्वेश्चन आँवर नहीं हुआ है। और पिछले सत्र का भी मैं

आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जितने 131 के काल अटेंशन दिये, एक का भी सरकार ने जवाब नहीं दिया तो फिर सदस्यों के अधिकारों का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: आपको मौका मिलेगा, अभी एक सप्ताह चलेगा यह सत्र। यह बात आप बाद में भी उठा सकते हैं। कम से कम आज तो .. (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): टाइम था क्वेश्चन ऑवर का, इसलिए कह रहा हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको मिलेगा समय। आप स्थान ग्रहण कर लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। जब भी शोकाभिव्यक्ति पहले हुई है तो उस रोज भी प्रश्न काल रखा गया है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, कई बार हुआ है और कई बार नहीं भी हुआ है, इसलिए आप इस बात का हवाला न दें, क्योंकि मैंने सारा रिकार्ड देखा है। कई बार नहीं भी हुआ। कई बार हुआ भी है। शोकाभिव्यक्ति के बाद अधिकांश बार सदन में ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अधिकांश बार नहीं हुआ है। (व्यवधान)... अधिकांश बार नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सत्र में प्रश्न काल नहीं रखेंगे तो हमको मौका क्या मिलेगा अपनी बात कहने का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अधिकांश बार नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कई बार नहीं हुआ है। ऐसा कई बार नहीं हुआ है। (व्यवधान) कई बार प्रश्न काल नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन हुआ भी है कई बार। हमारा तो अनुरोध ही था आपसे।

श्री अध्यक्ष: मैं खुद कह रही हूं हुआ है, लेकिन नहीं भी हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): कई बार मैं आपने यह अप्रिय कदम क्यों उठाया? आपने यह अप्रिय कदम क्यों उठाया? (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजेन्द्र जी जवाब देना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ ।

अध्यादेश

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक
(अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या-3) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेंस पेश कर रहे हैं, यह आर्डिनेंस, यह कानून हम यहां पहले पास कर चुके हैं। यह महामहिम राज्यपाल महोदय के पास विचारार्थ गया था। सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने उस पर क्या लिखा और क्या उनका व्यू था, वह विधान सभा अध्यक्ष के पास आया है और विधान सभा ... (व्यवधान)... सबसे पहले राज्यपाल महोदय द्वारा जो उन्होंने अंकित किया, वह पहले हाउस में आना चाहिये। सीधे का सीधा आर्डिनेंस नहीं ला सकते। यह सीधा आर्डिनेंस नहीं ला सकते। (व्यवधान)... पहले राज्यपाल महोदय की जो मंशा है, वह सदन के सामने रखी जानी चाहिये। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उसके बाद यह आर्डिनेंस लायें। उनकी भावनाओं के अनुसार वह काम करें। इस प्रकार यह अवैधानिक रूप से आर्डिनेंस निकाला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस उचित और कानूनी प्रक्रिया, जो हमारी चल रही है, उसकी आप रक्षा करें और इस प्रकार अवैधानिक कार्य नहीं होने दें, जो यह वर्तमान सरकार कर रही है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठें। ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आसन पैरों पर है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राज्यपाल महोदय ने उसको स्वीकृति नहीं दी। सारे सदन का अपमान करके और आप अध्यादेश लाना चाहते हो। आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हो। आप भी ईस्ट इंडिया कम्पनी का कानून चला रहे हो। यहां सरकार पूरे राज्य के अंदर बिना कानून के चल रही है। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य, जब इस विधेयक पर चर्चा हो तब आप अपनी बात कह लीजियेगा। ..(व्यवधान).. मैं मौका दूंगी आपको। विधेयक पर चर्चा हो तब यह बात कहना आप। ..(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। पाइंट ऑफ आर्डर। पाइंट ऑफ आर्डर मेरा प्रीविलेज है। *It is my point of order.*

श्री अध्यक्ष: विधेयक पर जब चर्चा शुरू हो माननीय सदस्य, तब मैं आपको पूरा मौका दूंगी। ..(व्यवधान)... मैं आपको मौका दूंगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है, आप मुझे रोक नहीं सकते। .. (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा अभी तो आर्डिनेंस को सदन के पटल पर रख रहे हैं। विधेयक पर जब चर्चा हो, यह व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो ... (व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले महामहिम राज्यपाल महोदय का आना चाहिये था, आर्डिनेंस नहीं निकाल सकते। ..(व्यवधान)... आर्डिनेंस निकालना ही गलत है आपका। ..(व्यवधान)... आर्डिनेंस ही नहीं निकाल सकते। ..(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो आप इसके लिये इसको निरसन करने का लाते। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर कहने के लिये मेरा अधिकार है। You can't stop me on a point of order.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कभी अध्यादेश को सदन के पटल पर ..(व्यवधान)... का सवाल ही नहीं है। ..(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You can't stop me on a point of order.

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट ऑफ आर्डर विधेयक की चर्चा के समय सुनूंगी मैं। (व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): It is my point of order. When he introduced I raised my point of order.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यादेश को अभी इन्ट्रोड्यूस नहीं कर रहे। अध्यादेश को सदन के पटल पर रख रहे हैं। यह स्टेज ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इसको रखो उससे पहले महामहिम राज्यपाल की बात आयेगी, जो राज्यपाल महोदय ने स्पीकर साहब को लिखा है। ..(व्यवधान).. जो-जो सूचना दी है, वह पहले सदन के पटल पर आयेगी, उसके बाद ... (व्यवधान).. राज्यपाल महोदय ने सदन की अध्यक्ष को जो लिखा है, वह पहले आना चाहिये। आप आर्डिनेंस ..(व्यवधान)....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इसको नहीं रख सकते। ..(व्यवधान)... आप अध्यादेश रख ही नहीं सकते। ..(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ... (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यादेश रख सकते हैं। अध्यादेश के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं रख सकते। बिल की स्टेज आये, तब आप कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप विधि मंत्री होते हुए भी गलत बयानबाजी कर रहे हो। ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: विधि मंत्री को जानकारी नहीं है कुछ। ..(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप अध्यादेश रख ही नहीं सकते।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You have allowed me and then you are doing it. What is this? अध्यक्ष महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दें। आपकी अनुमति से मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 63(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ..(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am on a point of order. You are not allowing me. अध्यक्ष महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं। ..(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यदि कोई माननीय सदस्य पाइंट ऑफ आर्डर उठाते हैं तो आप पहले उनका पाइंट ऑफ आर्डर सुनते थे। ..(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप यह क्या *** कर रहे हैं? You are now allowing me. ... (व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा मत डालिये मेहरबानी करके। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कोई पाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहते हैं और विधायी कार्य शुरू हो गये। उनको पाइंट ऑफ आर्डर उठाने का अधिकार है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य कहां शुरू हुआ है? ..(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अजीब है..(व्यवधान).. शुरू कर दिया आपने। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं प्रार्थना यह कर रहा था कि कई इस तरह के ...(व्यवधान)...

*** शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You can't stop me on a point of order.

Msr/usc/1110/1b/14072008 अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आपको पाइण्ट ऑफ आर्डर सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पाइण्ट ऑफ आर्डर पर फैसला करिये। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 63(2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पहले पाइण्ट ऑफ आर्डर के लिए अलाऊ कीजिए आप। ... (व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसके बाद मैं इनको बोलने की अनुमति दी जाए। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 63(2) यह कहता है ... (व्यवधान) ... जिसमें सदन के सामने लम्बित विधेयक के उपबंध पूर्णतः या अंशतः या रूपभेद सहित समाविष्ट हो ... (व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कतई गलत बात है। ... (व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): पहले पाइण्ट ऑफ आर्डर पर फैसला होगा। ... (व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उसके बाद आगे जा सकते हैं। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारम्भ में मेज पर रख दिया जायेगा।' ... (व्यवधान) ... सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें एक बार। एक बार स्थान ग्रहण करें। प्लीज स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, आप भी स्थान ग्रहण कर लें। ... (व्यवधान)...

मैं सरकार से यह तो निवेदन करना चाहूंगी, यह बात सही है कि यह अध्यादेश नहीं निकलना चाहिए था। जो कुछ ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वैरी गुड।

श्री अध्यक्ष: नहीं, देखिये, सुनिये।

जो कुछ भी आपको इसके अन्दर, जब गवर्नर साहब चाहे सुझाव दें, चाहे आब्जेक्शन

करें, या कुछ और करें वो विधान सभा में आना चाहिए था। यह तो बात सही है बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ गया न।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या आ गया। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बहुत गलत बात है, आसन बोल रहा है और आप कह रहे हैं आ गया। यह कौनसी बात हुई आपकी? यह गलत बात है। प्लीज, प्लीज शांत रहें।

यह बात तो सही है लेकिन अब आप इस बात के लिए अपना कह दें, भई, हो गया गलती से। क्या बात है उसमें ... (व्यवधान) ... क्षमा, बस खतम हुई बात और उसको शुरू करें। वापस ले लेंगे इसको, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन की आज्ञा शिरोधार्य, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सुनिये। विधान सभा की प्रक्रिया, विधान सभा के नियम, विधान सभा की परम्परा यह बराबर बनी रहनी चाहिए, इनका क्षरण नहीं होना चाहिए। बात तो सही है लेकिन अब आप बोलिये जो कुछ ... (व्यवधान) ... अब आपको क्या कहना है, मैंने कह दी न बात।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I will speak. You can't stop me.

श्री अध्यक्ष: अब आप क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You can't stop me. My point of order is my right.

श्री अध्यक्ष: अब क्या कहना चाहते हो आप?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You can't stop me.

श्री अध्यक्ष: आपको मौका मिलेगा जब विधेयक पर चर्चा हो तब। विधेयक पर चर्चा हो तब बोल लेना आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You can't stop a point of order. आप पाइण्ट ऑफ आर्डर अलाऊ नहीं करेंगे, यह कौनसा नियम है I am raising a point of order. You are not allowing me.

श्री अध्यक्ष: हर वक्त ही ... (व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): It is my privilege. क्या हर वक्त, यह क्या *** पाइण्ट ऑफ आर्डर अलाऊ नहीं करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप It is my privilege to have a point of order.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने मुझे भी अनुमति दी है,

*** शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Point of order is my privilege. You can't stop me.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कुछ प्रार्थना की थी और आपने मुझे ...(व्यवधान)... मुझे अनुमति दें, मैं कुछ पढ़ कर सुना दूँ।

श्री अध्यक्ष: वो भी क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए न। क्या कहना चाहते हैं, अब आप बोलिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न तो आपकी मर्सी पर बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ नियम और कानून के अन्तर्गत। जब भी कोई बिल पास होता है तो सेक्रेटरी हमें इन्फोर्म करता है कि यह बिल पास हुआ है गवर्नर के यहां से। जो बिल हमने सदन में पास किया है उसके बारे में सदन में हमें कोई जानकारी नहीं दी है और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो सदन में बिल पास हो कर के गवर्नर साहब के पास भेजा उस बिल के बारे में सेक्रेटरी महोदय को क्या कहना है। This is my right to know as a Member. Unless and until that procedure is followed no Ordinance come in the House. सो, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय, है आप इस सरकार को प्रताड़ना दीजिए, यह सरकार विधान सभा के अन्दर जो हमें एक अधिकार है सदस्य को जानने का कि जो बिल हमने पास किया है उस बिल का फेट क्या है, पहले यह बतायें उसके बाद आर्डिनेन्स की बात करें।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था कीजिए आप। क्या विधान सभा के अन्दर माननीय गवर्नर साहब ने जो बिल हमने पास है उस बिल का स्टेट क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है...

श्री अध्यक्ष: जी। ...(व्यवधान)... अब आप बोलने दो न।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सेक्रेटरी हो क्या? You are not a Secretary. माननीय अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: देखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, यह क्या कहेंगे He is not a Secretary.

श्री अध्यक्ष: देखिये, आपने अपनी बात कह दी, बोलने का हक तो उनको भी है ...(व्यवधान)... बोलने का हक तो उनको भी है। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार नहीं बोलेगी इस पर। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले हमें सचिव, विधान सभा यह जानकारी दें ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। ... (व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रोटेक्शन में आप मत आइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा मत डालिये। ... (व्यवधान) ... आपके सेक्रेटेरिएट को जानकारी देनी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नयी परम्परा मत डालिये। ... (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिल पारित हुआ ... (व्यवधान) ... आब्जैक्शन हुआ ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सेक्रेटरी द्वारा जानकारी दी जायेगी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप सेक्रेटरी से इसका जवाब दिलाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सेक्रेटरी नहीं हैं। पहले सेक्रेटरी जानकारी दें कि उस बिल का असर क्या हुआ, आज की तारीख में वो बिल की स्थिति क्या है? यह कौन हैं और क्या, किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान की विधान सभा में कभी सचिव ने जानकारी दी है ... (व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह तो कल स्पीकर साहब की जगह ही जवाब देने को तैयार हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, आपने अपनी बात कह दी, जवाब देने का और बोलने का हक तो उनको भी है तो बोल लेने दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सेक्रेटरी को बतानी है कि इसका जवाब क्या आया, गवर्नर ने क्या किया है, यह क्या बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): स्थान ग्रहण कर लेंगे। ... (व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सदस्य खड़े हो कर व्यवधान पैदा कर रहा है, आप रोकिये इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन ने

जो आज्ञा दी वो शिरोधार्य पर मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

यह सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 91 की व्याख्या के अनुसार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सुन तो लीजिए आप उन्हें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल का संदेश विधेयक, लम्बित विधेयक के बारे में दिया जा सकता है, सदन में लौटाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम और प्रक्रियाओं के नियम 63(2) की तरफ दिलाना चाहता हूँ। 63 में अध्यादेशों के सम्बन्ध में विवरण। यह 63 ही है। यह 63(2) में लिखा है : जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये, जिसमें सदन के सामने लम्बित विधेयक के उपबंध पूर्णतः या अंशतः या रूपभेद सहित समाविष्ट हो तो इन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारम्भ में मेज पर रख दिया जायगा।'

यह स्पष्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 63(2) के अन्दर और उसी के अन्दर हमने इसको मेज पर रखा है। और, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह जो राज्यपाल महोदय ने संदेश दिया उस संदेश का पाठन करने का अधिकार आपके पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी इंटरैक्टरी स्टेज पर है, जब इस पर पूरा विचार-विमर्श होगा तो उसमें वो राज्यपाल महोदय ने इस विधेयक के सम्बन्ध में क्या-क्या आपत्ति की है और ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मर्सी पर नहीं हैं, हमें जानने का अधिकार है कि जो बिल पास किया है उसका असेम्बलि सेक्रेटरी बताये यह फेट है। सरकार के कोई सम्बन्ध नहीं है इससे, माननीय अध्यक्ष महोदय, It is between the MLA and the Secretariat.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सरकार की सहृदयता है कि राज्यपाल महोदय की ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको हमें बताना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से कोई मतलब नहीं है। बिल हमने पास किया है, सदन में बिल पास हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): That communication is between the Secretariat and the Members of the this House. It is not between the Government.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने सीनियर होने के बाद यह गलत परम्परा मत डालिये। यह सरकार एक बार नहीं, दो बार धर्म के नाम पर जो बिल लाये उस बिल को भी गलत बिल लेकर आ गये, दो-दो बिल लेकर आ गये, जो पेंडिंग था गवर्नर के पास में। ऐसी गलत परम्परा डाल कर आप इतिहास बना रहे हैं, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विधेयक विचारार्थ लिया जायेगा उस वक्त बता देंगे आपको ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इतने सीनियर मैम्बर होने के बाद आप यहां यहां पर लोकतंत्र का गला घोट कर राजाशाही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कभी नहीं हुआ इतिहास में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे, आप इसको फिर चैक करिये, यह बिना हमें कम्युनिकेट किये हुए है, इसका स्टेटस क्या है, सरकार कोई भी नया आर्डिनेन्स नहीं ला सकती, पहले कम्युनिकेट करिये हमें, उस बिल का गवर्नर महोदय ने क्या किया है। यह गलत परम्परा डलवा कर आप राजस्थान के इतिहास और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और आप पार्लियामेंट की एग्जिक्यूटिव की मैम्बर हैं, मैं समझता हूं कि आपकी उपस्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने के बाद आप दर्शक बन कर बैठे हुए हैं, *** एम.एल.ए. बनना, नहीं बनना बाद की बात होगी लेकिन प्रोटेक्ट करना आपकी जरूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पर इस तरह की टिप्पणी हो ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी की रक्षा करनी आपको जरूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पर इस तरह की टिप्पणी हो, यह एकदम ठीक नहीं है, यह राजस्थान विधान सभा का ...(व्यवधान)... आसन सर्वोपरि है, आसन सबके लिए सम्माननीय है, आसन पर इस तरह की टिप्पणी करते जाएं ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यदि आप कुर्सी की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं राजस्थान के विधान सभा के इतिहास में *** लिखा जायेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं बारबार

*** शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

माननीय सदस्य आसन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लगातार आसन पर टिप्पणी, आक्षेप लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार जब कमजोर है, सरकार जब संविधान का पालन नहीं करती है तब हमें अधिकार है कि हम इस तरह के रिमार्क पास कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सरकार के पास सब जवाब है, आपको सुना देंगे, आप बैठिये। सरकार के पास क्या अधिकार है, आप भी सरकार में रहे हो ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): जोर से बोलने से कुछ नहीं होता। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जनता भी तुम्हें कैंसिल करेगी, जनता भी नहीं बखशेगी तुम्हें। ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): केवल सदन का समय जाया कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राज्यपाल महोदय ने जिस टिप्पणी के साथ, जिस संदेश के साथ लौटाया, यह सरकार की सहृदयता है, चूंकि विधान सभा का सत्र आहूत नहीं हुआ था, हमने पहले अध्यादेश जारी किया और अब आपकी अनुमति से इस 63(2) के तहत हम इसको वापस लकर आये हैं, यह पूर्णतया कानून सम्मत है। यह बिना वजह चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के मंत्री गवर्नर पर आरोप लगाते हैं, यह कैसी सरकार चल रही है? यहां के आपके मंत्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने गवर्नर के ऊपर आरोप लगाये, नयी-नयी परम्परा डालाना चाहते हैं और हमें शिक्षा देना चाहते हैं। इस सरकार के मंत्री कांस्टीट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए गवर्नर के ऊपर आरोप लगायें, एक-एक मंत्री नहीं दो-दो मंत्री ने लगाये हैं। इस तरह की व्यवस्था कर के आप लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में नहीं विपक्ष के लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाये हैं, वो यहां पर चर्चा होंगे? किस बात पर चर्चा होगी यहां पर?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गवर्नर पर आरोप किसी ने नहीं लगाया। ...(व्यवधान)... मंत्री आरोप लगायें गवर्नर के ऊपर, दर्शक बने बैठे हो ...(व्यवधान)... यहां के मंत्रियों ने गवर्नर के ऊपर आरोप लगाये हैं और दर्शक बन कर बैठे हुए हो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरोप लगाये आपस में। ...(व्यवधान)... न्यूक्लियर डील पर देश में ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... रोकने का काम करते हैं आप और हमें भाषण देना चाहते हैं। सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): क्या बात है यह। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप खीज में हो कि दिल्ली की सरकार के पाये हिले, इसलिए यहां खीज मिटाना चाहते हो।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): लोगों को मरवा दिया आपने ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसकी यहां पर चर्चा होगी। ...(व्यवधान)...

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): आपने तो पूरे प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया, पचासों विधवाएं बेजार कर दीं घरों में ...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): किया वो आपको पता नहीं है, आप तो अपने वहां संभालो। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): क्या कहना चाहते हो आप?

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को कोई कुछ नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई विधेयक विधान सभा या संसद में लम्बित होते हुए भी राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। एक। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल था ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह लम्बित नहीं है This was passed by this House.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): लम्बित होने पर ही हो सकता है। यह लम्बित है, यह लम्बित है। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा नहीं डालें ...(व्यवधान).... It was passed by this House.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जब तक गवर्नर के दस्तखत नहीं होते तब तक लम्बित रहते हैं ...(व्यवधान)...

Ars/usc/1120/1c/14072008/1

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह इस विधान सभा का अपमान कर रहे हैं। यह लम्बित बिल नहीं है, यह बिल विधान सभा में पास हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जब तक गवर्नर के दस्तखत, राज्यपाल के दस्तखत नहीं होते हैं ... (व्यवधान) विधेयक नहीं बनता है ... (व्यवधान) तब तक विधेयक लम्बित रहता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या आप यह मानना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय, आपके कहने का तात्पर्य क्या यह है कि गवर्नर की असेंट के बिना भी वह बिल कम्प्लीट हो गया। क्या बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में आज तक ऐसा हुआ है क्या ? It is pending so long as the Governor does not sign. कांस्टीट्यूशन में प्रोवीजन है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You give me an example that this is a procedure to be followed. The Bill is passed in the Assembly. This is a procedure to be followed. It is duly acknowledged by the Governor. That is a different issue. But the Bill is passed in the House. You can not ... (interruption) यह नहीं हो सकता ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए अध्यक्ष महोदय, नियमों और प्रक्रियाओं के अन्दर 63(2) के तहत प्रक्रिया पूरी की है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ऐसा क्यों नहीं हो सकता ... (व्यवधान) आप ऐसी परम्परा मत डालिये ... (व्यवधान) Don't cite an example. विधान सभा का काम है बिल पास करना, हमने हाउस में पास किया है और असेम्बलि सैक्रेटरी ने गवर्नर को कम्युनिकेट किया है that is the meaning कि बिल पास हुआ है। अब यह प्रोसीजर चाहिए था कि गवर्नर साइन करके आपको कम्युनिकेट करे That you want to know कि बिल पास हुआ जो, उस पर गवर्नर ने क्या अफेक्ट किया। यही इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई बिल होगा उस बिल के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष: जब विधेयक आएगा आप अपनी सब बात कहियेगा। ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप इसको रिपीट कर रहे हो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा डाल रहे हैं I am raising the issue at the stage when the Bill has been introduced. आपने मुझे कहा राइट टाइम नहीं है इसका, फिर क्या डिस्कशन ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पेश होने के बाद खड़े हुए हो ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने अध्यक्ष महोदय खुद ने रूलिंग दी है कि (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जोशी जी आप खड़े उसके बाद हुए हो। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिल इण्ट्रोड्यूस हुआ ... (व्यवधान) हमारा अधिकार है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह पहले से ही तैयार थे ... (व्यवधान) एजेण्डा पढ़ लेते और मंत्री महोदय के रखने के पहले खड़े होते तब तो आपकी कोई बात ठीक। जब

सदन के पटल पर रख दिया उसके बाद तो खड़े हुए हैं। सदन के पटल पर रखने से पहले खड़े होते अगर आपको आपत्ति

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं, आप असत्य कथन कर रहे हो, हमने टाइम पर ही एतराज किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, नहीं किया है आपने टाइम पर। टाइम के बाद ही उठाया है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप असत्य बयान बाजी कर रहे हो और सदन को गुमराह कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने टाइम के बाद उठाया है। टाइम पर नहीं उठाया आपने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप टाइमिंग और रिकार्ड उठाकर देख लें...(व्यवधान) टाइमिंग और रिकार्ड उठाकर देख लें कि हमने समय पर एतराज किया है।...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कालीचरण जी के खड़े होते ही एतराज किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 63(2) में बिल्कुल नियमों के अनुसार किया है और अध्यक्ष महोदय, हमने तो महामहिम राज्यपाल महोदय की मंशा के अनुसार...(व्यवधान) क्योंकि सदन आहूत नहीं था।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, इस बात को पहले सैक्रेटरी को कहिये कि वह...(व्यवधान) और उसके बाद ही बात करें। गवर्नर की जो राय है, टिप्पणी है वह हमें बताई जाय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपको इतनी कानून की व्याख्या करनी है तो सदन के अन्दर एडवोकेट जनरल भी मैम्बर होता है। बुला लीजिए, फैसला करवा लीजिए, हम गलत हैं तो माफी मांग लेंगे। आप हाउस के अन्दर एडवोकेट जनरल को बुलाइये, एडवोकेट जनरल भी हाउस का मैम्बर है। हम जब पाइंट आफ आर्डर रोज कर रहे हैं तो संविधान के अन्तर्गत है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एडवोकेट जनरल को तो छोड़ो ना, हमसे ही कर लो ना बहस।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एडवोकेट जनरल को बुलाने में क्या तकलीफ है? आप बुलाइये, कराइये फैसला। आप एडवोकेट जनरल को बुलाइये, सदन के मैम्बर हैं वह। जब भी ऐसी कोई टेक्निकल बात आती है तो एडवोकेट जनरल को यह अधिकार दिया है कि वह हाउस का मैम्बर है और यह परम्परा रही है कि जब भी इस तरह की बातें हुई हैं एडवोकेट जनरल को हाउस में बुलाया है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप विधान सभा में बुला रहे हो, हम जवाब देने में सक्षम हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गवर्नर का अपमान मत करिये, विधान सभा का अपमान मत कीजिए और एडवोकेट जनरल को बुलाकर राय लीजिए

कि क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है कि एक बिल जो गवर्नर ने क्वेरी करके भेजा उस बिल के सामने सरकार एक नया आर्डिनैस लेकर आ जाए और विधान सभा को बताए भी नहीं उस बिल का इफेक्ट क्या हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसी संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत आपकी जिम्मेदारी बनती है, अध्यक्ष महोदय, कि इन नियमों की पालना की जाए। यह मंत्री लोग तो वही बात करेंगे ... (व्यवधान) जो यह गलत काम कर रहे हैं। इनकी आदत पड़ी हुई है लेकिन हमारा काम यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम तो बैठे हुए ही इसलिए हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यहां इस विधेयक पर भी महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर करके कुछ आपत्ति की और जब अध्यादेश जारी हुआ है उस पर भी महामहिम के हस्ताक्षर हुए, हमें तो उनकी मंशा के अनुसार चूंकि विधान सभा का सत्र आहूत नहीं हुआ था, हमारे मन में थी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो आपत्ति की, उन आपत्तियों का निवारण कैसे करें, इसके लिए इजाजत लेकर आए थे। उल्टा साधुवाद देना चाहिए था ... (व्यवधान) और अध्यक्ष महोदय, यह 63 (2) है ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उसको सदन की मेज पर लाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह नियम और प्रक्रिया के नियम 63 (1), 63 (2) दोनों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस तरह की परिस्थिति में किस तरह की ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कम्युनिकेशन हाउस में आना चाहिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के बीच में नहीं है, गवर्नर ने जो कम्युनिकेशन किया है वह असेम्बलि में आना चाहिए। सरकार बता दे कि असेम्बलि में आया क्या? यह बताए सरकार, यह सरकार के लेवल पर नहीं है। माननीय गवर्नर महोदय ने जो आब्जक्शन किये हैं वह आब्जक्शन पहले असेम्बलि सेक्रेटेरियट में आने चाहिए और असेम्बलि सेक्रेटेरियट फिर गवर्नमेंट को भेजता। आपने क्या इन नियमों का पालन किया? बताइये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताइये कि क्या गवर्नर का कम्युनिकेशन असेम्बलि सेक्रेटेरियट को मिला क्या यश+०% (व्यवधान) पहले यह बताइये आप।

श्री अध्यक्ष: उनको सुन लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... (व्यवधान) उठाई गई आपत्ति अमान्य है। श्री मूलचन्द डागा, सदस्य ने राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 1978 के पुरःस्थापन के समय आपत्ति उठाई कि इस प्रकार का कानून संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। जनतांत्रिक जनता पार्टी की सरकार दो बार ऐसा कानून ला चुकी है। हाउसिंग बोर्ड एक आटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। आटोनोमस इंस्टीट्यूशन के आधार पर राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 है उसकी सैक्शन- 6 में से अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि नियुक्ती की तारीख के बाद तीन साल होती है, दो साल एक्सटेंड कर सकते हैं। बोर्ड को तब खतम कर सकते हैं जब उसकी मिस मैनेजमेंट हो, कहीं गड़बड़ हो जाए ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या ताल्लुक है इसका ... (व्यवधान) क्या रीजेन्सी है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन ऐसा न करके उन्होंने चेयरमेन को ...(व्यवधान) कोई स्वाभिमानी व्यक्ति चेयरमेन बनने लायक नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या पढ़ रहे हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्या पढ़ रहे हैं ये ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी किसी ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, आप इस पर निर्णय दे चुके हैं ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय को खेद व्यक्त करना चाहिए ...(व्यवधान) सरकार ने गलती की और खेद व्यक्त करना चाहिए उनको। आप फैसला कर चुके हैं, कौनसी रूलिंग बता रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) तो उन्होंने निरस्त कर दिया और इस स्टेज पर ...(व्यवधान) जब भी इस पर चर्चा होगी उस समय आपत्ति हो सकती है और कोई भी कानूनी बात है उसका डिजीजन आसन से जो संवैधानिक कोई गतिरोध पैदा होगा या कोई ऐसी बात है तो उसमें कोर्ट में जाने का प्रावधान है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। आपने व्यवस्था दी है कि यह खेद व्यक्त करें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): खेद व्यक्त करने की जगह इन्होंने जो कुछ गलत काम किया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हाऊसिंग बोर्ड का क्या लेना देना है। यह शिक्षा का मामला है। माननीय सदस्य को यह भी पता नहीं है मुख्य सचेतक जी को वह हाऊसिंग बोर्ड का मामला है कि शिक्षा का मामला है और आपके आसन को यह चुनौति दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए उठाई गई आपत्ति निरस्त करने योग्य है और यह परम्परा के विरुद्ध है इसलिए इसको निरस्त करें ...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आप सुन तो लो पूरा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपने जो व्यवस्था दी है उसका पालन करवाइये अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय के फैसले के बाद क्या सुनवा रहे हो। उन्होंने कह दिया सरकार ने गलती की है, क्षमा याचना करनी चाहिए फिर क्या सुनाना चाहते हो?

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर खेद व्यक्त करवाइये सरकार से, आपकी आसन की व्यवस्था के आधार पर सरकार को खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं कह चुकी हूँ अपनी बात आसन कह चुका है। फिर आपको बोलने का मौका जब इस पर विचार होगा उस वक्त आप फिर कहियेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने जब कहा तो इनको खेद व्यक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?

श्री अध्यक्ष: कह दिया ना उन्होंने पी ए डी मिनिस्टर ने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन की पालना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस बात का खेद व्यक्त, नियमों में लाए हैं ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): किस बात का खेद व्यक्त करना चाहिए, नियमों और प्रक्रियाओं में लेकर आए हैं हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम नियमों के अनुसार लेकर आए हैं। नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार लेकर आए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कॉल एण्ड शकधर में 591 कोई विधेयक सभा में पुरःस्थापित किये जाने से पहले

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अध्यादेश, 2008

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या-2) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष की व्यवस्था भी यह सरकार नहीं माने, सत्ता पक्ष नहीं माने तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या। आपने स्वयं ने यह कहा है सरकार से यह गलती हुई है तो खेद प्रकट कर दें। इसमें कौनसी मूछ की बात है। मामला शांत हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कर तो दिया उन्होंने।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): सिर्फ बात इतनी सी है गलती हुई उसका खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करने में इनको कौनसी ऐसी दिक्कत आ रही है, खेद प्रकट कर दें, मामला शांत हो जाएगा। गलती हुई है तो गलती का तो खेद ही प्रकट करना होता है। आपने खुद ने महसूस किया है। अब आपने यह महसूस कर लिया उसको भी यह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं तो फिर यह किसकी व्यवस्था मानेंगे? इसलिए आप इनको मनाएं, बाध्य करें। अगर आपकी व्यवस्था यह नहीं मानेंगे तो यह सदन कैसे चलेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके सदस्य क्या मान रहे हैं, अभी क्या बोल रहे थे बीच बीच में?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हमारे सदस्य बिल्कुल मान रहे हैं। हमारे सदस्य अध्यक्ष जी की व्यवस्था को मान रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है ... (व्यवधान) कि यह नियम और प्रक्रियाओं के नियम 63-1 और 63-2 के तहत मुलाहिजा फरमा लें। उसी के अनुसार हम लेकर आए हैं और व्यवस्था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही आप सुनते नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह 63-1 में साफ लिखा है कि जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान पर उसमें रूप, भेद सहित या उसके बिना सदन में पुरःस्थापित किया जाए तो सदन के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला विवरण भी रखा जाएगा जो रख दिया अध्यक्ष महोदय, मैंने।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जो राज्यपाल की टिप्पणी आयी है वह बताइये ... (व्यवधान) वही बताइये वही तो है ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आपने प्रक्रिया और नियमों के अन्दर परम्पराओं के अनुसार यह बात कही है विधान सभा प्रक्रिया, नियमों और परम्पराओं से चलती है ... (व्यवधान) प्रक्रियाओं का, परम्पराओं का सबका ध्यान है तो ध्यान में रखते हुए ही तो आपने यह बात कही है फिर भी यह इस तरह के नियम, परम्पराओं की दुहाई दे रहे हैं।

vns/usc/11-30/1d/14-7-2008/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने टेबल कर दिया यहां पर ... (व्यवधान) एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें वह बोल लें। बैठ जाएं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं कम्पलीट कर लूं। मेरा एक सेंटेंस जुड़ेगा। मेरा तो एक सेंटेंस ... (व्यवधान) तो अध्यक्ष महोदय और इसी में लिखा है कि जिस कारण दिया और तुरन्त विधान बनाना आवश्यक है यह इसके साथ हमने कारण और किस कारण से लेकर आये हैं वह स्पष्ट है और इसी में अध्यक्ष महोदय, इसके 63(2) के अन्दर यह ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने ले कर दिया। यहां पर ले करने के बाद हाउस की प्रोपर्टी हो गया। आप पढ़कर सुना दीजिये इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसको?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जो उन्होंने जिन कारणों से किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब डिस्कशन पर आयेगा, इंट्रोड्येक्टरी स्टेज पर होगा तब सवाल आएंगे उन सारी चीजों का, सारी उन चीजों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत करा देंगे कि महामहिम राज्यपाल की क्या आपत्ति थी और उन आपत्तियों के

निवारण के लिए हमने क्या किया। मेरी तो सिर्फ आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि 63(1) और 63(2) इनके अन्तर्गत नियम और प्रक्रिया के हम इसको लेकर आये हैं। मैंने इसलिये इसकी जो आपत्ति है वह आपत्ति प्रतिपक्ष की खारिज करने लायक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 63(1) और (2) के तहत लेकर आये हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आसन ने यह व्यवस्था दी है कि यह खेद व्यक्त करें। यह सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनसे खेद व्यक्त कराइये। यह बार-बार पढ़ रहे हैं ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने बिना कायदे कानून पढ़े ही अपनी टिप्पणी दे दी है। आपकी व्यवस्था है। आप विद्वान हैं। समझकर ही दी है। इनको कहिये यह माफी मांगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का बहुत बड़ा लैप्स है।

श्री अध्यक्ष: लैप्स है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने यहां पर इनको रेप्रीमेंड कर दिया। रेप्रीमेंड किया है आपने उसके बाद में न खेद व्यक्त कर रहे हैं, न पढ़कर सुना रहे हैं। आखिर जब यह हाउस की प्रोपर्टी है, अब हाउस की टेबल पर ले हो गया। हाउस की प्रोपर्टी हो गया, पढ़कर सुना दें राज्यपाल ने क्या कहा था, या खेद व्यक्त कर दें यहां पर। यहां पर कोई मतलब नहीं, यहां पर अभी मामला समाप्त हो जायेगा। खेद भी व्यक्त नहीं करना चाहते हैं यह यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पढ़कर सुना देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहो पढ़कर सुना देंगे ... (व्यवधान) पढ़कर सुना देंगे। ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पढ़कर सुना देते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है गवर्नर, महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां पर से जो कुछ भी लिखा हुआ आता है वह मंत्री पढ़कर नहीं सुनाते, वह तो आसन ही सुनाता है। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... (व्यवधान) कुछ नहीं हो सकता है। यह नयी परम्परा डाल रहे हैं ... (व्यवधान) कोई पाइंट आफ आर्डर आये, कोई आब्जेक्शन करे ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सूचित किया नहीं इन्होंने। यहां पर आपको सूचित किया नहीं है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 94 ... (व्यवधान) रूल 94 पढ़िये। ... (व्यवधान) एक मिनट सर। रूल 94 Reconsideration of Bills returned by the Governor. When a Bill which has been passed by the House is returned by the Governor for reconsideration, the point or points referred for reconsideration or the amendments recommended shall be put before the House by the Speaker ७ अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह तो मैंने कहा ना। यही तो मैंने कहा कौन पढ़कर सुनायेगा, आसन पढ़कर सुनायेगा। यह तो मैंने कह दिया कौन पढ़कर सुनायेगा। यह तो मैंने कह दिया ना यह तो आसन ही सुनाता है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो फिर आप ... (व्यवधान) हम सरकार को नहीं जानते हम तो आपसे पूछते हैं आप हाउस को बताइये अध्यक्ष महोदय। आप बताइये हाउस को। हम आपसे पूछ रहे हैं स्पीकर से कि री-कंसीडर मतलब आप बताइये हमको। हमें सरकार के उत्तर की जरूरत नहीं है। स्पीकर हमें बतायें कि गवर्नर महोदय ने री-कंसीडर लिखकर भेजा है आप उसको बताइये। यह हमारा पाइंट आफ आर्डर है माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) क्या मतलब है ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): स्पीकर को दिया ही नहीं है। स्पीकर को दिया ही नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सरकार ने ... (व्यवधान) जरा यह तो पता कर लीजिये ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House. इसलिये अध्यक्ष महोदय इस 94 रूल का वायलेशन, अध्यक्ष महोदय, आपको सदन अधिकार नहीं देता है। आप हमें बतायें मेहरबानी करके कि इस बिल पर जो गवर्नर महोदय ने लिखा है, आप अध्यक्ष की हैसियत से हमें सूचित करिये कि गवर्नर महोदय ने क्या लिखकर भेजा है। उस पर आप कंसीडर करवाइये उसके बाद आर्डिनेंस की चर्चा करिये इसलिये अध्यक्ष महोदय, रूल 94 का वायलेशन आप जैसी पार्लियामेंटेरियन के सामने हो जाए तो या तो राजशाही से आप कोई कमजोरी लग रही है मुझे या आपको लग रहा है कि आपकी कांशियस में प्रिंक नहीं हो रहा है कि कैसे हम संविधान का प्रोटक्शन करें। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि 94 रूल के वायलेशन के बाद या तो सरकार खेद व्यक्त करे अन्यथा इस बिल को विदइया किया जाए और दुबारा सदन के अन्दर लाया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रूल 94 को रेफर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर रूल 94 के अन्दर महामहिम राज्यपाल के संदेश को पढ़ने का अधिकार आपको है पर यह तब है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिखा है इस प्रकार वाद विवाद किया जायेगा। मतलब जब डिबेट चालू होगी उस समय आपके संदेश के साथ यह डिबेट चालू हो जायेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह राँग इंटरप्रिटेशन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब इस बिल पर डिबेट चालू होगी महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार को कोई बचा ही नहीं सकता आपने क्या वजह रखी है। राजा विश्वेन्द्र सिंह को आपने एडवाइजर बनाया इसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको सूचित करे नहीं सरकार, आपकी जानकारी में नहीं है गवर्नर साहब ने क्या सुझाव दिये। आपको सूचना दी नहीं इन्होंने। माफी मांगे नहीं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गया है। ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): और पढ़कर सुनायें नहीं तो यह होगा क्या? माफी मांगे नहीं, पढ़कर सुनायें नहीं, आपको सूचना दी नहीं, यह सरकार तो पंगु सरकार है। या तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को एडजोर्न करें। आप हाउस को एडजोर्न करें, जानकारी प्राप्त करें। हाउस को एडजोर्न करें और उसके बाद आप पढ़कर सुनायें यहां पर और इनको रेप्रीमेंड कीजिये। इनसे माफी मंगवाइये आप यहां पर ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राज्यपाल के यहां से सीधा आता है। ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे वह बात कहनी है। जो कभी गलती नहीं करता है वह देवता होता है। जो गलती करता है और गलती को स्वीकार कर लेता है वह इंसान होता है। जो गलती करता है और गलती को स्वीकार नहीं करता है वह हैवान होता है। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो इन सब बातों को नहीं समझे वह क्या होता है ... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): ढपोल होता है। ढपोल। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर प्रतिपक्ष के नेता जिस तरीके के असंसदीय शब्द ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो जमीनों पर कब्जे करो। जमीनों पर कब्जे, आप तो जमीनों पर कब्जे करो। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हैवान नहीं हैं, यह तो शैतान हैं। शैतान। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): राठौड़ साहब, प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा है ना क्रिकेट की भाषा में उसको छक्का कहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है इनको खेद प्रकट करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिम्मेवार पद पर बैठे हैं। हैवान क्या है यह राजस्थान की जनता ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमने तो कहा था मुख्यमंत्री को बचा ... (व्यवधान) मुख्यमंत्री को बचाने की ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आसन की मानो मत ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह काफी है मुख्यमंत्री को बचाने की ... (व्यवधान) जवाब दे रहे हो ... (व्यवधान) दे दिये जो काफी हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 94 के अन्दर जब यह डिस्कशन में आयेगा और जब महामहिम राज्यपाल का जो संदेश, जब वाद विवाद प्रारम्भ होगा तब संदेश का पठन आपके मुख से होगा। उस वक्त सारी चीजें यहां बता देंगे और हम क्यों लेकर आये हैं इस पर यदि सुनने को तैयार हैं ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): We will not allow to freeze the constitutional provision. We will not allow. We are not on the mercy of the Government. The Minister may be on the mercy of the Government. We want to strictly adhere to the provisions of the rules. They can not flout it.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट जोशी जी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 93 says very clearly. 93 पढ़ लीजिये। 93 में लिख रखा है "When a Bill is passed by the House and is in possession of the House, the Bill shall be signed in the duplicate by the Speaker and presented to Governor." माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने साइन करके गवर्नर को भेजा है, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि गवर्नर का कम्युनिकेशन आपके पास हुआ कि नहीं हुआ? सरकार क्या कह रही है हमें मतलब नहीं। 94 कहता है यह कम्युनिकेशन स्पीकर को होना चाहिये गवर्नर महोदय के यहां से। आप बताइये आपसे हुआ कि नहीं हुआ? यदि आपको नहीं हुआ तो कोई भी बिल जो थू असेम्बली सेक्रेटेरियट नहीं आता है वह हाउस के अन्दर डिस्कस नहीं हो सकता इसलिये इसको हटाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको डिलीट किया जाए। बाहर निकाला जाए। फिर दुबारा प्रोसीजर को फालोअप कीजिये, गवर्नर के कम्युनिकेशन को लाइये, हमें इन्फोर्म करिये और उसके बाद डिस्कस करवाइये। अदरवाइज आप और हम समझते हैं कि यह चुनाव का आखिरी समय है, आखिरी सेशन है इसलिये हम लोकतन्त्र को ऐसे बाईपास कर देंगे, हम नहीं होने देंगे। हम यहां पर बैठे हुए हैं इस लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिए। राजा-महाराजा को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं इस संविधान की रक्षा करिये। नहीं तो हम हाउस को नहीं चलने देंगे ऐसे। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको कुछ समझते ही नहीं है। यह तो सब कुछ महारानी साहिबा को समझते हैं। अध्यक्ष का महत्व ही नहीं जानते हैं। आज बता दो आपका क्या महत्व है इनको आप। ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय राज्यपाल महोदय के यहां से यह मैसेज आया था उसमें मैंने आपके ध्यान में इतना ही लाया कि यह मैसेज आया है और क्योंकि अभी विधान सभा सत्र कब होगा और यह जो अस्थायी टीचर्स हैं उनका जो हमने अध्यादेश पारित किया था उनको नियमित करने के लिये, आचार संहिता भी लागू हो सकती है इसलिये इसको करना जरूरी है तो इसलिये सब पर वैधानिक राय ली गयी और वैधानिक राय लेने के बाद में तय किया गया कि आम तौर पर राज्यपाल के जो मैसेज आते हैं वह

विधान सभा के अन्दर ही आने चाहिये और विधान सभा में आने के बाद में जो भी सरकार उसको विदड़ा करे या संशोधन पेश करे वह विधान सभा के अन्दर ही होना चाहिये ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ए.जी. की राय ली है क्या? ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बात सुन लीजिये। विधि मंत्री बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके बाद मैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ए.जी. की राय की आवश्यकता नहीं थी। ए.जी. की राय की आवश्यकता नहीं थी इस पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सार्वजनिक हित में उन सब टीचर्स का वह काम हो जाए और गवर्नर साहब की इच्छा भी मान ली जाए। फिर गवर्नर साहब को भी यह बात करके यह मैसेज किया कि हम इस प्रकार करें और आप आर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करें तो हम इसको लागू कर सकते हैं। तो सबकी जो राय बनी वह सर्व जन हित में इस काम को किया गया और जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा है कोई भी टैक्निकल गलती हो तो आगे वह परम्परा नहीं बने उस हिसाब से करके सरकार इस काम को कर रही है इसलिये मैं समझता हूँ कि इतना कहने के बाद मैं इस बात को समाप्त ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आगे परम्परा नहीं बनेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): और आइन्दा नियमों का पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्याम तिवाड़ी जी, अब तो यह स्पष्ट है कि यह सरकार, 90 बी के अलावा इसको कोई फुर्सत नहीं मिल रही है कि स्पीकर को कोई सूचना दे।

श्याम/चौहान 14.07.2008 11.40 1e अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहां 90 बी आ गयी इसके अंदर ... (व्यवधान) कहां 90 बी आ गयी ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह 90 बी में ही लगे रहे थे, जैसे आपके सांसद कह रहे हैं ... (व्यवधान) कि सरकार 90 बी में लगी पड़ी है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कर दिया, कृपा होगी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, बिना खेद प्रकट किये हाउस में बिल डिस्कस नहीं होगा, बिना खेद प्रकट किये नहीं होगा ... (व्यवधान) यह सदन की प्रोपर्टी है हाउस में, यह गलत परंपरा नहीं पड़ेगी ... (व्यवधान) आप बताइये ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं करने दिया जायेगा ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय के आदेश की पालना होगी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह गलत परंपरा नहीं पड़ेगी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राठौड़ी में हाउस नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम पार्टी नहीं बनेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिल जब इंट्रोड्यूस होगा, उस समय पढ़कर के सुना देंगे ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): खेद प्रकट करे यह सरकार ...(व्यवधान) खेद प्रकट करे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खेद प्रकट करे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिल जब इंट्रोड्यूस होगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह खेद प्रकट करें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिलकुल ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसमें क्या तकलीफ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गवर्नर साहब के सुझाव और गवर्नर साहब के एतराज ...(व्यवधान) पढ़कर के सुना दिया जायेगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कानून के ऊपर नहीं है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सरकार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पढ़कर के सुना दिया जायेगा, अगर कहीं बात ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार यदि संविधान का पालन नहीं करेगी ...(व्यवधान) यदि सरकार संविधान का पालन नहीं करेगी तो सामान्य नागरिक कानून का पालन क्यों करेगा। क्यों कानून का पालन करेगा बतायें आप ...(व्यवधान) आप किस तरह का सिम्बल देना चाहते हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके निर्देश की पालना हो, आसन के निर्देश की पालना हो ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई साधारण आदमी कानून तोड़ दे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आसन की व्यवस्था की पालना हो ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आसन की व्यवस्था की पालना करायी जाये ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बातों से करा दो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ है नहीं ...(व्यवधान) नरपत जी ने रख दिया ना, रख दिया ...(व्यवधान)

- (कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)
- श्री सी. डी. देवल (रायपुर): खेद व्यक्त करायें ...(व्यवधान)
- श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, खेद व्यक्त करायें ...(व्यवधान)
- श्री अध्यक्ष: यह तो हम पहले ही जानते थे कि आप यही करोगे ...(व्यवधान)
- श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): काहे का खेद व्यक्त करो ...(व्यवधान)
- किस बात का खेद व्यक्त करें ...(व्यवधान)
- श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य सदन को चलाना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)
- श्री अध्यक्ष: अब कह दिया है कि परंपरा नहीं बनेगी, कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी, कह तो दिया ना ...(व्यवधान)
- श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): शोकाभिव्यक्ति के समय में ...(व्यवधान)
- श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह हठधर्मिता है, जब सारी बात स्पष्ट हो चुकी है और उसके बाद में आपके निर्देश हो चुके हैं, उसके बाद में विपक्ष इस प्रकार का रवैया अपना रहा है ...(व्यवधान)
- श्री अध्यक्ष: मान रही है ...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि पुनरावृत्ति नहीं होगी ...(व्यवधान) परंपरा नहीं बनेगी ...(व्यवधान) पुनरावृत्ति नहीं होगी, कह दिया ना और क्या है ...(व्यवधान)
- श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): विपक्ष के नेता को मानते हो कि नहीं मानते हो ...(व्यवधान)
- श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो कहना था सो कह दिया, अब दिल्ली में जो इनकी सरकार डगमगा रही है उसके लिये जयपुर में हंगामा करके उसको बचाना चाहते हैं, नहीं बचेगी वह सरकार ...(व्यवधान) यह और नहीं बचने वाले हैं ...(व्यवधान) अमरनाथ की जमीन को वापस लेकर के जो पाप किया है, उस पाप को छुपाना चाहते हो, वह पाप नहीं छुपेगा ...(व्यवधान)
- एक माननीय सदस्य: सौ चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली ...(व्यवधान)
- श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अमरनाथ के लिये जो जमीन ...(व्यवधान)
- श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दिल्ली में जो सरकार जा रही है ना वह सरकार नहीं रूकेगी ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अमरनाथ जी की जमीन वापस लेकर के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं का अपमान किया है, देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब शांति बनायें ... (व्यवधान) प्लीज, स्थान गृहण करें। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कृपया स्थान गृहण करें ... (व्यवधान) कृपया स्थान गृहण करें ... (व्यवधान) बीच में बात नहीं, यह आसन की तरफ से ... (व्यवधान) प्लीज, आप स्थान गृहण कर लें ... (व्यवधान) यह आप खड़े होकर के नहीं बोलेंगे ... (व्यवधान) शांत रहिये। मैं आसन की तरफ से कह रही हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और यह परंपरा नहीं बनेगी। अब आप अपने-अपने स्थान को जायें ... (व्यवधान) अपने-अपने स्थान पर जायें ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लाल सलाम की बजाय दलाल सलाम, यह दलालों की पार्टी है, क्या बात करते हैं यह, यह दलालों का मामला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब इनका मुद्दा बदल गया ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सारे देश को महंगाई में डुबो दिया और अपनी सरकार को बचाने के लिए यह लाल सलाम की बजाय अब दलाल सलाम कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन की तरफ से कह दिया, आत्मा क्या होती है ... (व्यवधान) आत्मा से कह रही हूँ ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह आसन से किस तरह से बात कर रहे हैं ... (व्यवधान) यह आसन को प्रताड़ित कर रहे हैं ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आसन का अपमान कर रहे हैं ... (व्यवधान) यह आसन का अपमान कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दिल्ली में तो कारंत को डरा रहे हैं, यहां अध्यक्ष को डरा रहे हैं ... (व्यवधान) बिलकुल कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आसन को प्रताड़ित कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम संसदीय परंपराओं का पालन करें ... (व्यवधान) यह संसदीय परंपरा है आपकी ... (व्यवधान) इसकी पालना करा रहे हो आप ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): दिल्ली संभालो अपनी ... (व्यवधान) आप दिल्ली को संभालो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शोकाभिव्यक्ति करायें, शोकाभिव्यक्ति करायें ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दिल्ली की हो रही है खिल्ली ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): 22 तारीख की चिंता करो सरकार जा रही है आपकी ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, शोकाभिव्यक्ति करायें ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बसपा में जा रहे हो कि कांग्रेस में रहोगे ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कितनी बार बोलूंगा, बोल तो दिया ...(व्यवधान) बोल दिया ना मैंने ...(व्यवधान) जाना-आना किसी के बस की बात नहीं है, दिल्ली वाली जा रही है उसको संभालो आप ...(व्यवधान) अब लाल सलाम नहीं, अब दलाल सलाम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नरपत सिंह जी ने कर दिया था क्या ...(व्यवधान) कर दिया ...(व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वह दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.47 बजे 12.15 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

jyg/akt/14.7.8/12.10/1h

(12.15 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निकम्मी सरकार से खेद तो व्यक्त करा दीजिए। काम तो बड़े खोटे-खोटे कर रही है ये।

(प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: आप कर रहे हैं? श्री घनश्याम तिवाड़ी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक, 2008

श्री घनश्याम तिवाड़ी (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

पुरःस्थापित करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और

आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंह।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

पुरःस्थापित करें।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब शोकाभिव्यक्ति होगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने स्थान पर चले जाएं। आज दिन तक इस सदन की यह परम्परा रही है कि शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर सब माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी अपने-अपने स्थान पर चले जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। यह परम्परा रही है इस सदन की कि शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठे रहते हैं।

(प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

Gpc/akt/14072008/1220/1j

शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण ..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये तो सारी मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सरकार को तो मत चलने देना, लेकिन शोकाभिव्यक्ति पर, जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य रहे हैं, आपके सार्थी रहे हैं, कृपया आप उनकी शोकाभिव्यक्ति

के अवसर पर तो अपने-अपने स्थान पर चले जाएं। ..(व्यवधान).. लाठी, गोली वाली को तो मत चलने देना। ..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर भी ये बैठ नहीं सकते। इनको कोई चिंता नहीं है। ..(व्यवधान).. सी.पी. जोशी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। ये कांग्रेस को लेकर डूबेंगे। ..(व्यवधान).. मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि सी.पी. जोशी कांग्रेस को लेकर डूबेंगे। ये सब साथ दे रहे हैं ये तो डूबेंगे ही ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: इसमें कुछ तो नए हैं और जो पुराने हैं वे सब परम्पराओं को तोड़ रहे हैं। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये किस तरह की परम्पराएं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा कलंकित हो रही है जो शोकाभिव्यक्ति के समय में प्रतिपक्ष ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति कर रही हूँ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष का आचरण निंदनीय है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर तो चुप रहें। अब रहने दो, बैठो। माननीय सदस्यगण, अब आप शांत रहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, फील्ड मार्शल मानेकशाँ, जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, उनका शोक भी ये प्रकट नहीं कर सकते।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री सैम मानेकशाँ, पूर्व सेना प्रमुख के निधन पर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व सेना प्रमुख श्री सैम मानेकशाँ, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामलाल, श्री मूलचन्द मीणा एवं श्री बेनाराम गहलोत, गांधीवादी समाज सेविका और पूर्व सांसद कुमारी निर्मला देशपांडे तथा जयपुर में हुए बम विस्फोटों में मारे गये व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ।

भारत के पूर्व सेना प्रमुख श्री सैम होरमुशजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशाँ का जन्म 3 अप्रैल, 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। अमृतसर और शेरवुड कॉलेज, नैनीताल में अपनी स्कूली तथा कालेज शिक्षा पूर्ण करने के बाद आपने 1 अक्टूबर, 1932 को देहरादून

में भारतीय सैनिक अकादमी (आई.एम.ए.) में प्रवेश लिया तथा दिसम्बर, 1934 में आई.एम.ए. से उत्तीर्ण होने के बाद आप भारतीय सेना में सैकण्ड लेफ्टिनेंट बने।

आपने क्वेटा में इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कीं तथा बाद में आपको जनरल स्लिम की चौदहवीं आर्मी के अधीन बारहवीं फ्रंटियर राइफल्स फोर्स में तैनात किया गया। आपने जापानियों के साथ युद्ध में भाग लिया तथा दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के समय आपको जनरल डेजी के स्टाफ अफसर के तौर पर चीन भेजा गया। श्री मानेकशां ने नागालैण्ड में उग्रवाद की समस्या का मुकाबला किया। जून, 1969 में आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किये गये तथा इसी पद पर रहते हुए आपने 1971 के भारत-पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अप्रतिम योद्धा और कुशल कमांडर मानेकशां ने अपने चार दशक के सैन्य जीवन में पाँच प्रमुख युद्धों में भाग लिया तथा अपनी दृढ़ता और बहादुरी का परिचय दिया।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, निर्दोष गुर्जरों की हत्या हुई है। ..(व्यवधान).. उनके प्रति शोकाभिव्यक्ति होनी चाहिए। ..(व्यवधान).. जलियांवाला बाग के बाद यह दूसरी घटना है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आने वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलायी गईं। सरकारी ताण्डव का नंगा नाच ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माइक बंद कराओ।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: "सैम बहादुर" के नाम से विख्यात मानेकशां को युद्ध में उनकी निर्णायक भूमिका के लिए सदैव याद किया जाता रहा है। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1968 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण तथा जनवरी, 1973 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित मानद पदवी "फील्ड मार्शल" से सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने भी आपको सम्मानित करने के लिए पहला हल्दीघाटी शौर्य पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका ने भी आपको "लीजियन ऑफ मैरिट" अवार्ड प्रदान किया। आप 15 जनवरी, 1973 को सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गये।

श्री सैम होरमुशजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशां का दिनांक 27 जून, 2008 को निधन हो गया।

श्री रामलाल, पूर्व विधायक के निधन पर

पूर्व विधायक श्री रामलाल का जन्म वर्ष 1933 में नागौर जिले की मेड़ता तहसील के बग्गड़ ग्राम में हुआ।

श्री रामलाल पांचवी, छठी तथा सातवीं राजस्थान विधान सभा में मेड़ता से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास, भू-जल, अन्त्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। ..(व्यवधान).. बीच में नहीं बोलें। अपना स्थान ग्रहण करें। पहले तो आप अपना स्थान ग्रहण करें। ..(व्यवधान)..

श्री रामलाल अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1954 से 1959 तक सरपंच तथा वर्ष 1964 से 1972 तक पंचायत समिति, रियांवाड़ी के प्रधान रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री रामलाल वर्ष 1959 से 1972 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य भी रहे।

श्री रामलाल का दिनांक 10 जुलाई, 2008 को निधन हो गया।

श्री मूलचन्द मीणा, पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक के निधन पर

पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक श्री मूलचन्द मीणा का जन्म 10 मई, 1931 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने बी.ए., बी.एड. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मूलचन्द मीणा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप मार्च, 1973 से अप्रैल, 1977 तक राज्य सरकार में सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, स्वायत्त शासन, पंचायत, वन तथा सामुदायिक विकास विभाग के राज्य मंत्री रहे। इस अवधि में आपके पास खादी एवं ग्रामोद्योग तथा वन विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

जन कल्याण के कार्यों के प्रति समर्पित रहे श्री मीणा लगभग 22 वर्षों तक शिक्षक भी रहे।

श्री मूल चन्द मीणा का दिनांक 6 अप्रैल, 2008 को निधन हो गया।

श्री बेनाराम गहलोत, पूर्व विधायक के निधन पर

पूर्व विधायक श्री बेनाराम गहलोत का जन्म 12 जून, 1928 को पाली जिले की सोजत तहसील के बगड़ी सज्जनपुर ग्राम में हुआ। आपने जसवन्त कालेज, जोधपुर से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री बेनाराम गहलोत दूसरी राजस्थान विधान सभा में पाली जिले की खारची निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री गहलोत अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1952 से 1957 तक सेंट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जोधपुर के मैनेजर रहे। लेखन में रुचि रखने वाले श्री गहलोत कृषकों की दशा सुधारने के लिए उन्हें सदैव वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के लिए प्रेरित करते रहे।

श्री बेनाराम गहलोत का दिनांक 24 अप्रैल, 2008 को निधन हो गया।

कुमारी निर्मला देशपांडे, पूर्व सांसद के निधन पर

प्रसिद्ध गांधीवादी समाज सेविका तथा राज्य सभा की सांसद कुमारी निर्मला देशपांडे का जन्म 17 अक्टूबर, 1929 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। आपने राजनीति शास्त्र में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

कुमारी निर्मला देशपांडे वर्ष 1997 तथा 2004 में राज्य सभा की सदस्य मनोनीत की गईं। कुमारी देशपांडे ने अपना सार्वजनिक जीवन नागपुर के मोरिस कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका के रूप में शुरू किया। गांधीवादी विचारों से प्रेरित कुमारी देशपांडे वर्ष 1952 में आचार्य विनोबा भावे के साथ भू-दान आंदोलन से जुड़ गईं। आचार्य विनोबा भावे के साथ 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान आपने देशभर में अहिंसा की विचारधारा का प्रसार किया। प्रत्येक समस्या को अहिंसा तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का विचार देने वाली कुमारी देशपांडे को वर्ष 2005 में 14वें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

“दीदी” के नाम से विख्यात रही कुमारी देशपांडे इंडो-पाक सोलजर्स इनिशिएटिव फॉर पीस (आईपीएसएल) की अध्यक्ष, वीमेंस इनिशिएटिव फॉर पीस इन साउथ एशिया की संस्थापक ट्रस्टी तथा साउथ एशियंस फॉर ह्युमन राइट्स की सक्रिय सदस्य रही। आपने कश्मीर समस्या, तिब्बती शरणार्थी समस्या और पंजाब समस्या के समाधान तथा म्यांमार में लोकतंत्र बहाली से जुड़े आंदोलन के लिए लगातार कार्य किया। कारगिल युद्ध के बाद मार्च, 2000 में दिल्ली से लाहौर तक महिलाओं के लिए ऐतिहासिक शांति बस चलवाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कुमारी देशपांडे को वर्ष 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

सर्वधर्म समभाव और गरीबों की सेवा में सक्रिय रहने वाली कुमारी देशपांडे अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रही। अध्ययन एवं लेखन में रुचि रखने वाली कुमारी देशपांडे के कई उपन्यास प्रकाशित हुए हैं।

कुमारी निर्मला देशपांडे का दिनांक 1 मई, 2008 को निधन हो गया।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत

व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

मोहन/अरूण/अशोधित प्रति प्रकाशनार्थ नहीं/14072008/1230/1k

दिनांक 13 मई, 2008 को प्रदेश की राजधानी जयपुर के भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों से जानमाल की अपूरणीय क्षति हुई है। इन आतंकी धमाकों से 67 व्यक्ति मारे गये तथा 181 लोग घायल हुए। मंगलवार शाम सात बजे बाद शहर के परकोटे में स्थित चांदपोल गेट, माणक चौक, छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार के भीड़भरे इलाकों में ये बम धमाके हुए। प्रदेश के शान्त और सद्भावनापूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए की गई यह कायरतापूर्ण कार्यवाही घोर भर्त्सना किये जाने योग्य है।

मैं, इन बम विस्फोटों में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए पीडित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

**(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े हो कर
दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की ।)**

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.32 बजे मंगलवार दिनांक 15 जुलाई, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)
